The Employment Exchanges (Compulsory Notification Of (Vacancies) Act, 1959

परिशिष्ठ -I (1)
(अनुच्छेद 1.6, 2.1 (ख) भाग – ।।)
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम

(1959 का 31)

(2 सितम्बर 1959)

रोजगार कार्यालय में रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवे वर्ष में संसद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (i) यह अधिनियम रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम . 1959 कहा जाऐगा ।

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू होगा ।

(ii i) यह अधिनियम किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए नियम करें तथा विभिन्न राज्यों या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग अलग तारीख नियत कर सकती है।

परिभाषाएं

2– उस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।–

(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में –

(क) '' उपयुक्त सरकार'' का अभिप्राय है–

(i) भारत सरकार या भारत सरकार का कोई विभाग,

(ii) कोई ऐसी कम्पनी जिसकी 51 प्रतिशत तक शेयर पूंजी केन्द्र सरकार रखती हो या आंशिक रूप में केन्द्र सरकार रखती हो और आंशिक रूप में एक या एक से अधिक राज्य सरकारें,

(iii) केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित निगम (जिसमें सहकारी समिति शामिल है, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध केन्द्र सरकार के अधीन हों,

क) स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन रेलवे बड़े बंदरगाह, खान या तेल क्षेत्र की कोई स्थापना, या

ख) अन्य स्थापना

(II) किसी अन्य स्थापना के संबंध में उस राज्य की सरकार से है, जिसमें वह स्थापना स्थित है।

(ख) "कर्मचारी" का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी स्थापना में किसीकार्य को करने के लिये नियुक्त हैं जिसके लिये उसे पारिश्रमिक मिलता है।

(ग) "नियोजक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पारिश्रमिक के बदले स्थापना में किसी काम को करने के लिये नियुक्त करता है। और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित हैं जिसे उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य सौंपा जाता है।

(घ) "रोजगार कार्यालय" का अभिप्राय उस कार्यालय या स्थान से है जिसे सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने और उसे दर्ज करने के लिये स्थापित किया है। और उसकी देख रेख भी सरकार द्वारा की जा रही है यदि वह सूचना रजिस्टरों में दर्ज की गई हो या नहीं –

; प द्ध जो व्यक्ति कर्मचारियों को भर्ती करना चाहते है।

; पप द्ध जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना चाहते है।, और

; पप द्ध रिक्तियों, जिन पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकें ।

(ड) "स्थापना" का अभिप्राय निम्नलिखित से हैः–

क– कोई कार्यालय, या

ख– ऐसा स्थान जहॉ कोई उद्योग, व्यवसाय या धन्धा चलाया जा रहा हों,

(च) ''सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना से अभिप्राय ऐसी स्थापना से है जिसका स्वामित्व नियंत्रण या प्रबंध निम्नलिखित के अधीन हों :–

; प द्ध सरकार या सरकार का कोई विभाग,

; पप द्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी

; पप पद्ध केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम (सहकारी समिति सहित) जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध सरकार के अधीन हों,

; पअद्ध स्थानीय प्राधिकरण

(छ) "निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान" से अभिप्राय ऐसी स्थापना से है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है और जिसमें पारिश्रमिक के लिये सामान्यतया पच्चीस या उससे अधिक व्यक्ति काम के लिये नियुक्त होते है।

(ज) "निर्धारित" का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा किया गए निर्धारण से है।

(झ) "अकुशल कार्यालय कार्य" का अभिप्राय किसी स्थापना में निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला कार्य, जैसे –

; प द्ध दफ्तरी

; पप द्ध जमादार, अर्दली और चपरासी

; पपप द्ध धूल झाड़ने वाला व्यक्ति या फर्राश

; पअ द्ध बंडल या रिकार्ड वाहक

; अ द्ध प्रोसेस सर्वर

; अप द्ध चौकीदार

; अपप द्ध सफाईवाला

; अपपप द्ध ऐसा दैन्य या अकुशल कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अकुशल कार्यालय कार्य घोषित कर सकती है।

ऐसी कुछ रिक्तियां जिन पर अधिनियम लागू नहीं होता

3– ;प द्ध यह अधिनियम निम्नलिखित रिक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा :–

(क) कृषक या फार्म मशीनरी कर्मी के रूप में रोजगार को छोड़कर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में कृषि (बागवानी सहित) के किसी रोजगार से संबंधित रोजगार में,

(ख) धरेलू सेवा के किसी रोजगार में,

(ग) जिस रोजगार की कुल अवधि तीन माह से भी कम हो उसमें,

(घ) अकुशल कार्यालय कार्य को करने वाले किसी भी नियोजन में,

(ड) संसद के स्टाफ से संबंधित रोजगार में,

; प्प्द्ध जब तक केन्द्र सरकार अन्यथा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश नहीं देती, यह अधिनियम निम्नलिखित रिक्तियों के संबंध में भी लागू नहीं होगा

(क) जिन रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा या अन्तर्लयन या एक स्थापना की किसी शाखा या विभाग के फालतू स्टाफ द्वारा भरने या संघ या राज्य लोक सेवा आयोग या इसी तरह की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा या लिए गए साक्षात्कार या की गई सिफारिश के आधार पर भरने का प्रस्ताव हों,

(ख) ऐसे रोजगार की रिक्तियां जिसमें पारिश्रमिक साठ रूपये प्रतिमाह से कम हो।

रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की अधिसूचना

4.;प द्ध किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद उस राज्य या क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक स्थापना के नियोजक उस स्थापना में किसी रिक्ति को भरने से पहले निर्धारित किये गये रोजगार कार्यालयों को रिक्ति की अधिसूचना देंगें

; प द्ध उपयुक्त सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें निर्धारित तिथि से यह मांग कर सकती है कि निजी क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक या निजी क्षेत्र की स्थापना के किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित हर स्थापना के नियोजक उस स्थापना में किसी पद की रिक्ति भरने से पहले उसे निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें और नियोजक उसके बाद इस तरह की अपेक्षा का पालन करेंगें ।

; प्प्द्ध उक्त उप धारा ; प द्ध या उप धारा ; प्प्द्ध में बताई गई रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करने और किसी स्थिति या पद में ये रिक्तियां निकली है या निकलेंगी आदि के लिये वहीं ढंग अपनाया जाएगा जो निर्धारित होगा ।

; पअ द्ध उप धारा ; प द्ध और ; प द्ध की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी भी नियोक्ता को रिक्त पद पर केवल इसलिये रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करनी होगी क्योंकि वह रिक्ति इन उपधाराओं के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है।

नियोजकों को निर्धारित फार्म में सूचना और विवरणी प्रस्तुत करनी होगी

5; प्द्ध किसी राज्य या उसके क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद उस राज्य या क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक स्थापना की रिक्तियों

या होने वाली रिक्तियों के संबंध में निर्धारित सूचना या विवरणी ऐसे रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत करेंगें जिसे इसके लिये निर्धारित किया जाएगा ।

; प्प्द्ध उपयुक्त सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें निर्धारित तिथि से यह मांग कर सकती है। कि निजी क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक या निजी क्षेत्र की स्थापना के किसी वर्ग या श्रेणी से संबंधित हर स्थापना के नियोजक उस स्थापना की रिक्तियों या होने वाली रिक्तियों के संबंध में निर्धारित सूचना या विवरीणी ऐसे रोजगार कार्यालय को भेजेंगें जिसे इसके लिये निर्धारित किया गया हो तथा नियोजक उसके बाद ऐसी मांगों का पालन करेंगें ।

; प्प्प्द्ध इस तरह की सूचना या विवरणी उसी फार्म में और उसने समय के अन्तराल में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें दिया जाने वाला विवरण वैसा ही होगा जैसा निर्धारित किया गया हों।

रिकार्डो या दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार

6— सरकार का कोई भी अधिकारी जिसें इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षित किसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने के लिये किसी भी नियोजक के अधिकार में रहने वाले किसी भी दस्तावेज को देख सकता है। तथा किसी भी उचित समय में ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है जहॉ उसे विश्वास हो कि वह रिकार्ड या दस्तावेज हो सकते है। और सम्बद्ध रिकार्ड या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है या उसकी प्रतियां ले सकता है या इस धारा के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना प्राप्त करने के लिये पूछताछ कर सकता है।

दण्ड

7.; प द्ध यदि कोई नियोजक धारा 4 की उपधारा ; प द्ध या उप धारा ; पप द्ध का उल्लंघन करें किसी रिक्ति के बारे में निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करने में असफल रहता है तो उसे पहली बार इस अपराध के लिये पांच सौ रूपए तक

का जुर्माना किया जा सकता है और उसके बाद के हर अपराध के लिये एक हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

(।।) यदि किसी व्यक्ति सें –

क– कोई सूचना या विवरणी मांगी जाती है और वह :–

(՟) इस प्रकार की सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसकी अवहेलना करता है।

(।।) झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है या कराता है।

(ᐧᐧᐧ) धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली किसी सूचना को प्राप्त करने के लिये आवश्यक समझे गए प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है या झूठा उत्तर देता है, या

ख– धारा 6 द्वारा प्रदत्त सम्बद्व रिकार्डों या दस्तावेजों को प्राप्त करने या प्रवेश करने के अधिकार में विध्न डालता है,

तो उसे पहली वार अपराध के लिये दो सौ पचास रूपये तक और उसके बाद के हर उपराध के लिये पांच सौ रूपए तक जुर्माना किया जा सकेगा ।

अपराधों की सुनवाई

8– मुकदमा चलाने के लिये निर्धारित सरकारी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी से या उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को छोड़कर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

सद्भाव में की गई कार्रवाई से बचाव

9– इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि सद्भाव मेंकुछ किया जाता है या करने का अभिप्राय हो तो किसी की व्यक्ति के विरूद्व कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

10– (1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ये नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबंध कर सकते है।, जैसे–

(क) किस रोजगार कार्यालय या कार्यालयों को किस फार्म या ढंग से कितने समय के अन्तर्गत रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी और उस रोजगार के विवरण जिसमें ये स्थान रिक्त हुये हो या हो सकते हों,

(ख) किस रूप में और किस ढंग से कितने समय के अन्तराल में धारा 5 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना और विवरणी भेजी जाएगी तथा उनमें क्या – क्या विवरण दिया जाएगा,

(ग) किसी अधिकारी द्वारा और किसी ढंग से धारा 6 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमोंको नियम बनाने के तीस दिन के बाद जितनी शीध्र हो सकें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाएंगे और सदन जिस सत्र में इन्हें रखा जाता है उसमें या उसके बाद के सत्रों में इन नियमों में संशोधन कर सकेगा ।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों कीअनिवार्य अधिसूचना) नियम' 1960 (अद्यतन यथासंशोधित)"

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (1959 का 31) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित होने पर इन नियमों को पहले भी प्रकाशित किया जा चुका है।

नियम

1— **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1)** इन नियमोंको रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 कहा जा सकेंगा ।

(2) ये नियम पहली मई 1960 से प्रवृत्त होगें।

2— **परिभाषाएं—** इन नियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(1) '' अधिनियम'' का आशय रोजगार कार्यालय (रिक्तियां की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 (1959 का 31) से है।

(ण) भारत के असाधारण राजपत्र में धारा 3, उपधारा ; प द्ध में जी.एस.आर.477 द्वारा दिनांक 26 अप्रेल 1960 को प्रकाशित ।

(ण्ण) भारत के राजपत्र के भा—।। धारा 3 उपधारा ; प द्ध में क्रमशः जी.एस.आर. 450 जी.एस.आर. 548, जी.एस.आर.1718 और जी.एस.आर.236 के अन्तर्गत प्रकाशित को दिनांक 16—3—63. 23—3—68, 4—12—76, और6—3—86

(2) '' केन्द्रीय रोजगार कार्यालय '' का आशय भारत सरकार,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित किसी रोजगार कार्यालय से है।

(3) '' निर्देशक '' का आशय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों पर नियंत्रण करने वाले निदेशालय के प्रभारी अधिकारी से है।

(4) ''फार्म '' का आशय इन नियमों के साथ दिए गये फार्मो से है।

(5) '' स्थानीय रोजगार कार्यालय '' से आशय उस रोजगार कार्यालय (केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के अलावा) से है जिसे ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हों, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्बद्व स्थापना स्थित हो या जिसका स्थापना के विशिष्ट वर्ग या श्रेणी या रिक्तियों पर क्षेत्राधिकार हों ।

(6) '' धारा '' का आशय अधिनियम की धारा से है।

3— ऐसे रोजगार कार्यालय जिन्हें रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैः—

(1) निम्नलिखित रिक्तियों को उन केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित किया जाएगा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हैः—

(क) ऐसी स्थापनाओं में 425 रूपये या उससे अधिक मासिक मूल वेतन वाले तकनीकी और वैज्ञानिक किस्म के पदों की रिक्तियों जिनके संबंध में केन्द्र सरकार जिस अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त सरकार हैं, और

(ख) ऐसी रिक्तियां जिन्हें नियोजक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के रोजगार कार्यालयों में परिचालित कर सकता है जिनके अन्तर्गत वह स्थापना स्थित है।

(2) उप नियम 1 में निर्दिष्ट रिक्तियों के अलावा अन्य रिक्त पदों का सम्बद्व स्थानीय रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित किया जाएगा।

4— रिक्तियों की अधिसूचना का रूप और तरीका —

(1) उपयुक्त रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां लिखित में अधिसूचित की जाएगी और हर किस्म की रिक्ति के लियेजहॉ व्यवहार्या हो, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये जायेगें।

(1) नियोजक का नाम और पता

(2) नियोजक का टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो तो

(3) रिक्ति का स्वरूप

(क) किसकिस्म के कामगार चाहिये (पदनाम)

(ख) कार्य का विवरण

(ग) अपेक्षित योग्यताएं —

(i) अनिवार्य

(ii) वांछनीय

(ध) आयु सीमा, यदि कोई हो तो,

(ड) क्या महिलाऐं भी पात्र है घ

4– रिक्तियों की संख्या –

(क) नियमित

(ख) अस्थायी

5– वेतन और भत्ते।

6– कार्य का स्थान (शहर/ गांव का नाम तथा उस जिले का नाम जिसमें यह स्थित है)

7– वह संभावित तिथि जिसको रिक्ति भरी जाएगी

8– आवेदकों के साक्षात्कार/ परीक्षा से संबंधित

विवरण :–

(क) साक्षात्कार/ परीक्षा की तिथि

(ख) साक्षात्कार/ परीक्षा का समय

(ग) साक्षात्कार/ परीक्षा का स्थान

(घ) उस व्यक्ति का पदनाम और पता जिसकों आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

9– क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे वर्ग के उम्मीदवारों को वरीयता देने की बाध्यता या व्यवस्था है, यदि हॉ तो इन वर्गो के व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ।

10– इससे संबद्व अन्य कोई सूचना ।

(2) उप–नियम (घ) के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय को दिए गए विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो उपयुक्त रोजगार कार्यालय को रिक्तियां पुनः अधिसूचित की जाऐगी।

5— **रिक्तियों की अधिसूचना के लिये समय–सीमा :–**

(1) यहॉ साक्षात्कार या परीक्षा लेनी होती है वहॉ स्थानीय रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियां आवेदन के साक्षात्कार या परीक्षा लिये जाने की तारीख या यदि साक्षात्कार या परीक्षा नहीं ली जानी है तो जिस तिथि को रिक्तियां भरी जानी है उससे कम से कम 15 दिन पहले अधिसूचित की जाएगी।

(2) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियां यदि आवेदकों का साक्षात्कार या परीक्षा ली जानी है तो साक्षात्कार या परीक्षा की तारीख से कम से कम चार सत्पाह पहले या यदि साक्षात्कार या परीक्षा नहीं ली जानी है तो रिक्तियां भरने की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पहले, अधिसूचित की जाएगी।

(3) नियोजक सम्बद्व रोजगार कार्यालय को चयन के परिणाम की सूचना चयन करने के 15 दिन के अन्दर देगा।

6— **विवरणी प्रस्तुत करना :–**

नियोजक स्थानीय रोजगार कार्यालय को फार्म ई. आर.–1 में त्रैमासिक विवरणी और फार्म ई. आर. ।। में द्विवार्षिक विवरणी भेजेगा, त्रैमासिक विवरणियां निर्धारित तारीख जैसे 31 मार्च, 30 जून, 20 सितम्बर और 31 दिसम्बर के तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाऐगी । द्विवार्षिक विवरणी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित निर्धारित तारीख के तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी।

7— **धारा 6 के प्रयोजनों के लिएअधिकारी –** निदेशक को इसके द्वारा ऐसे अधिकारी के रूप में निर्धारित किया जाता है जो धारा 6 में दि गए अधिकारों का प्रयोग करेगा या किसी व्यक्ति को इनके प्रयोग के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा ।

8— इस अधिनियम के अधीन अभियोजन :– जिस राज्य में स्थापना स्थित है। उसके रोजगार निदेशक को अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोग चलाने या उसकी मंजूरी देने या किसी व्यक्ति पर अभिसयोग चलाने

या उसकी मंजूरी देने के लिये प्राधिकृत करने वाला अधिकारी निर्धारित किया गया है

(देखें 1982 की सामान्य सेवा नियमावली 236)

फार्म ई. आर– 1

..... **को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये स्थानीय रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी ।**

रोजगार की प्रवृति का मूल्यांकन करने और श्रम की पूर्ति और मांग के बीच असन्तुलन को सही करने के बारे में कार्यवाई में सहायता के लिये रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम 1960 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना मांगी जाती है।

नियोजक का नाम और पता ————————————————————

कार्यालय कैसा है। प्रधान कार्यालय ----------

शाखा कार्यालय ----------

व्यवसाय / मुख्य कार्य का स्वरूप ----------

1– (क) **रोजगार**

स्थापना के भुगतान पत्रक में व्यक्तियों की कुल संख्या जिसमें कार्यकारी मालिक/साझेदार/ कमीशन एजेंट// आकस्मिक भुगतान और संविदागत कामगार शामिल लेकिन अंशकालिक और शिक्षु शामिल है। (इन आंकड़ों में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिये जिनकी मजदूरी या वेतन का भुगतान स्थापना करती है।)

	पिछली तिमाही के अन्तिम कार्य दिवस को	वर्तमान तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को
पुरूष		
महिलाऐं		
कुल		

ख– यदि तिमाही के दौरान रोजगार में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्वि या कमी होती है तो उसका मुख्य कारण दें।

टिप्पणी– रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापनाओं की रिक्तियां भरने से पहले उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट रिक्तियों का विवरण रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करने संबंधी उनकी बाध्यता से अवगत कराया जाता है।

2– **रिक्तियां** – 60 रूपये प्रतिमाह या उससे अधिक की कुल परिलब्धियों वाली तथा तीन माह से अधिक अवधि की रिक्तिया।

(क) तिमाही के दौरान हुई और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या और तिमाही में भरी गई रिक्तियॉ

	अधिनियम की सीमा में आने वाली रिक्तियों की संख्या			
कितने पद रिक्त हुये	अधिसूचित स्थानीय रोजगार कार्यालय	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	भरी गई रिक्तियां	स्त्रोत (किन स्त्रोंतों से भरी गई
1	2	3	4	5

(ख) उक्त 2 क– के अन्तर्गत वर्तमान तिमाही के दौरान रिक्त हुए पदों को अधिसूचित न करने का कारण –

3– **जनशक्ति की कमी :–**

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण न भरी जा सकी रिक्तियां/पद

व्यवसाय का नामया पद का नाम	न भरी गई रिक्तियों /पदों की संख्या			
	निर्धारित योग्यता	अनिवार्य अनुभाव	अनिवार्य अनुभव जो आवश्यक नहीं है।	
1	2	3	4	

कृपया कोई अन्य ऐसा व्यवसाय बताऐं जिसके लिये स्थापना को हाल ही में उपयुक्त आवेदक प्राप्त होने में कठिनाई हुई हों

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

रोजगार कार्यालय,

टिप्पणी : यह विवरणी 31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाहियों सम्बद्व तिमाही को समाप्ति के 30 दिन के अन्दर स्थानीय रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

फार्म ई. आर. ।।

स्थानीय रोजगार कार्यालय को दो वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाने वाली व्यावसायिक विवरणी (सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तारीख को यह प्रस्तुत होगी।

ख्रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम 1960 के अन्तर्गत,

नियोजक का नाम और पता ----------

व्यवसाय की किस्म ----------

(इसका उल्लेख करें कि स्थापना किस चीज का निर्माण करती है।या उसका मुख्य कार्य क्या है ६

1– --------- तारीख को (निर्धारित तारीख)स्थापना के भुगतान पत्रक में व्यक्तियों की कुल संख्या ----------

(इसमें ऐसा हर व्यक्ति शमिल किया जाना चाहिये जिसकी मजदूरी या वेतन का भुगतान स्थापना करती है।

2– उक्त मद 1 में दिये गये सभी कर्मचारियों का व्यावसायिक वर्गीकरण

(कृपया नीचे हरव्यवसाय के कर्मचारियों कीसंख्या अलग अलग दें

व्यवसाय	पुरूष	महिला	योग	कर्मचारियों की संख्या
सही शब्द का प्रयोग करें, जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) अध्यापक(गृह				कृपया जहॉ तक संभव हो हर व्यवसाय की उन रिक्तियों के अनुमानित संख्या बताऐ जिन्हें

विज्ञान) कार्य अधिकारी(बीमांकक)
सहायक निदेशक(धातु विज्ञानी)
या
वैज्ञानिक सहायक (रसायनों)
रहे

आप अगले कलेण्डर वर्ष में सेवानिवृत्ति/कार्य के विस्तार पुनर्गठन के कारण भरने जा

है।

अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्र)
अनुदेशक बढ़ई पर्यवेक्षक (टेलर)
फिटर (आन्तरिक कम्व्यूशन इंजन)
निरीक्षक (सफाई अधीक्षक(कार्यालय)
शिक्षु(इलैक्ट्रीशियन)

1	2	3	4	5

कुल

दिनांक

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

रोजगार कार्यालय

.....

(कृपया यहॉ अपने स्थानीय रोजगार कार्यालय का पता लिखें)

टिप्पणी 1 मद 2 के कालम 4 का योग मद में दी गई संख्या के अनुरूप होना चाहिये